



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1227-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए0एस0/09 (20)

दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2241-औ0सं0-17/पाकालि/2021 दिनांक 16.08.2021 द्वारा 13.12.2021 तक मान्यता प्राप्त सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई0एम0सी0ए0 रोड, सेक्टर-8 फरीदाबाद की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं नवीनतम पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 17.12.2021, जो जिला पंजीकरण प्राधिकरण, हरियाणा सरकार के द्वारा निर्गमन तिथि से एक वर्ष तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं0-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 14.12.2021 से दिनांक 16.12.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1227 -(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः 2/-

Nal

6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड, सेक्टर-8 फरीदाबाद।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppccl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

Nat Mathur
(नवनीत माथुर) 6.4.22

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

[Signature]